# FORM NO –III

फर्द–अहकाम

(नियम–26)

A3/1

**अज अदालत कलक्टर, मुकाम नागौर**

**प्रार्थी**

बैंक ऑफ बडौदा, नागौर मुख्य शाखा, 1/12, वॉटर वर्क्स सर्कल के पास, कॉलेज रोड, नागौर, राजस्थान 341001

बनाम

**अप्रार्थीगण**

1. विकास कुमार शर्मा पुत्र सुरेश कुमार शर्मा
2. दीपक कुमार शर्मा पुत्र सुरेश कुमार शर्मा निवासीगण बेबी हाउस प्लॉट नं. 3, सेंट अंसलम स्कूल के पास, नागौर, राजस्थान 341001

**किस्म मुकदमा –सिक्योरिटाईजेशन एक्ट 2002 संख्या 33 सन् 2022**

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए |
|---|---|---|
| 25.01.22 | प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत बंधक संम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने हेतु पुलिस सहायता उपलब्ध करवाने बाबत प्रस्तुत किया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। पत्रावली वास्ते सुनवाई प्रार्थी दिनांक 02.02.2022 को पेश हो।<br><br>जिला मजिस्ट्रेट,<br>नागौर | |
| 2/2/22 | प्रार्थी मुख्य प्रबन्धक बैंक ऑफ बड़ौदा नागौर द्वारा श्री समीर यादव अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ऋणी ने प्रतिभूति सम्पति का कब्जा स्वेच्छा से राजी खुशी बैंक को दे दिया है। अतः बैक द्वारा धारा 14 सरफेसी अधिनियम 2002 के अन्तर्गत प्रस्तुत उक्त प्रकरण को आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं होने से प्रकरण वापस करने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र शामिल मिसल हो। चूँकि प्रार्थी उक्त परिस्थितियों में अब इस प्रकरण को आगे चलाना नहीं चाहता है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।<br><br>(... समरिया)<br>जिला मजिस्ट्रेट, नागौर<br>जिला मजिस्ट्रेट नागौर<br><br>Signature Not Verified<br>Digitally signed by Peeyush Samariya<br>Date: 2022.06.24 10:51:57 IST<br>Reason: SelfAttested | (समीर) |